विभाग का नाम :– ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :– आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवाल

अतारांकित प्रश्न संख्या–26
दिनाँक :– 19.03.2018
प्रश्नकर्ता श्री जगदीश प्रधान
क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि अभी तक बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट नहीं हुआ है ;	इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है: "बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए टैरिफ याचिकाओं के अनुसार, उनके खाते की लेखा परीक्षा, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार की जाती है।" इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट कैग से करवाने का आदेश दिया था। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने अपने 30.10.2015 के आदेश में दिल्ली सरकार की बिजली कंपनियों का ऑडिट कैग द्वारा कराये जाने के आदेश को खारिज कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील फाईल कर दी है तथा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
ख)	यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;	
ग)	सरकार द्वारा बिजली वितरण कम्पनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ; और	इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है। इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब संलग्न है। (अनुलग्नक V)
घ)	सरकार की दिल्ली में नये बिजलीघर बनाने की क्या योजना ह ?	नए बिजली घर बनाने का दिल्ली सरकार का कोई प्रस्ताव नही है लेकिन 685 मेगावाट सोलर ऊर्जा और 355 मेगावाट विंड ऊर्जा खरीदने का दिल्ली सरकार ने प्रबन्ध किया है इसके अलावा डिमांड को देखते हुए सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है जिसके लिए डीईआरसी रेगुलेशन जारी करता है इसलिए इस प्रश्न को डीईआरसी को भी भेजा गया था उनका जवाब संलग्न है। (अनुलग्नक V)

(वर्षा जोशी)
सचिव (ऊर्जा)
Varsha Joshi
Secretary (Power)

अनुलग्नक- V

पूरक नोट (**Supplementary Note**)

Q. NO. 26:

(c)	DERC has notified Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005 in order to promote competition among DISCOM. And in addition to that DERC has also initiated an approach paper for developing a strategy for creating competition in this market within the present legal frame work of the Electricity Act, 2003.
(d)	The query is not clear as to whether it is about electricity generating stations or electricity sub stations however, as far as electricity sub-stations are concerned, the grid sub-stations and augmentation of electrical network is being carried out by the distribution licensee depending upon the applications for new service connections, potential for load growth etc, as per the provisions of DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 and its Order dated 31.8.2017. The Licensees are directed to take appropriate action for augmentation of capacity as soon as the peak load on the existing applicable distribution transformers reaches about 70% of its rated capacity. The Commission in its DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 has also specified that where there is no specific developer in an area and the augmentation of the existing distribution system requires the space for installation of grid sub-station, transformers, switch gear etc. to meet out the load demand, the distribution licensee shall approach the Government of NCT of Delhi for allotment of space.